

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-8
संख्या- 10 / 2026 / 05(120) / XXXVII(8) / 2024 ई0-69680
देहरादून: दिनांक 20 जनवरी, 2026

अधिसूचना

राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा कराना समीचीन है,

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2025 (अधिनियम सं0 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 01 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के जारी होने की अगली तारीख से, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची III में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

संशोधन

अनुसूची III में, क्रमांक 5 पर विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी;
अर्थात् :-

क्र.सं.	माल का वर्णन	कर का बिन्दु	कर की दर प्रतिशत
5.	प्राकृतिक गैस	नि0 या आ0	5 प्रतिशत


(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्या- 10 / 2026 / 05(120) / XXVII (8) / 2024 ई0-69680 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यकत कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से संबंधित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री राजकीय मुद्रणालय रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(चिरंजी लाल)
अनु सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased order the publication of the following English translation of the Notification No **10** /2026/05(120)/ XXVII(8)/ 2024/2026 dated **20** January, 2026 for general information

Government of Uttarakhand
Finance Section -8
No **10** /2026/05/(120)/XXVII (8)2024
Dehradun: Dated:: **20** January, 2026

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub- section (4) of section 4 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Uttarakhand Act. No 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act. 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to allow, with effect from the next date of the issuance of this notification, the following amendment in Schedule III of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005;

Amendment

In Schedule III, for the existing entry at serial no 5, following entry shall be substituted; namely :-

Sl.No	Description of goods	Point of Tax	Rate of tax
5.	Natural Gas	M or I	5%


(Dilip Jawalkar)
Secretary